लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

दिनांक 20 फरवरी, 2018 की सम्पन्न हुई कार्य परिषद बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त

उपस्थिति

1. प्रो0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह, कुलपति – अध्यक्ष
2. प्रो0 उपेन्द्र नाथ द्विवेदी, प्रतिकुलपति – सदस्य
3. प्रो0 अमिता बाजपेई – सदस्य
4. प्रो0 अमिता कन्नौजिया – सदस्य
5. प्रो0 दिनेश कुमार – सदस्य
6. प्रो0 राम मिलन – सदस्य
7. प्रो0 वी0के0 गोस्वामी – सदस्य
8. प्रो0 एस0के0शुक्ला – सदस्य
9. श्री संजय मेधावी – सदस्य
10. डॉ0 शरद कुमार – सदस्य
11. डॉ0 अर्पणा गोडबोले – सदस्य
12. डॉ0 देव नरायन श्रीवास्तव – सदस्य
13. प्रो0 राज कुमार सिंह, कुलसचिव – सचिव

सर्वप्रथम मा0 कुलपति महोदय ने बैठक आरम्भ करने से पूर्व सभी मा0 सदस्यों का स्वागत किया और बैठक में अपना कार्यकाल पूरा करने वाले सदस्य प्रो0 कविराज, राजनीति शास्त्र विभाग, प्रो0 आर0 आर0 यादव, गणित एंव खगोल विज्ञान विभाग, प्रो0 पी0सी0मिश्रा, मनोविज्ञान विभाग, प्रो0 वाई0के0 शर्मा, वनस्पति विज्ञान विभाग, डॉ0 सी0पी0सिंह,विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, एंव मा0 जस्टिस रंजना पाण्ड्या, प्रो0 आभा अवस्थी, डॉ0 श्याम बाबू गुप्ता, एंव डॉ0 हरिभाऊ गोपीनाथ खाण्डेकर के योगदान एवं सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया, साथ ही परिषद में नवागत सदस्य प्रो0 दिनेश कुमार, शिक्षाशास्त्र विभाग, प्रो0 राम मिलन, वाणिज्य विभाग, प्रो0 अरविन्द कुमार वाणिज्य विभाग(अनुपस्थित), एंव प्रो0 एस0के0शुक्ला, वाणिज्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, का बैठक में स्वागत किया और साथ ही विश्वविद्यालय के हित में उनके बहुमूल्य सुझावों की अपेक्षा की। मा0 कुलपति/अध्यक्ष कार्य परिषद ने बैठक की कार्यवाही आरम्भ करने हेतु सचिव/कुलसचिव कार्य परिषद को निर्देश दिये, तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई :–

विनिश्चय संख्या 01 – कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 13.11.2017 के कार्यवृत्त की समस्त मा0 सदस्यों द्वारा सम्पुष्टि की गई।

विनिश्चय संख्या 02 – कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 13.11.2017 में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही से परिषद अवगत हुई एंव अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या03 – परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि विभाग में कार्यरत डॉ0 चन्द्रसेन प्रताप सिंह, असिस्टेन्ट प्रोफेसर के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सत्यापन आख्या एंव स्वमूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त श्री सिंह को विधि विभाग में असिस्टेन्ट प्राफेसर के मौलिक पद पर दिनांक 25.05.2017 से स्थायीकरण अनुमन्य किये जाने पर समस्त मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

Scanned by CamScanner

विनिश्चय संख्या 04 – परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि विभाग में कार्यरत डॉ0 मृणालिनी सिंह, असिस्टेन्ट प्रोफेसर के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सत्यापन आख्या एंव स्वमूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त डॉ0 मृणालिनी सिंह को विधि विभाग में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के मौलिक पद पर दिनांक 12.05.2017 से स्थायीकरण अनुमन्य किये जाने पर समस्त मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 05 – परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि विभाग में कार्यरत श्री पंच ऋषि देव शर्मा, असिस्टेन्ट प्रोफेसर के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सत्यापन आख्या एंव स्वमूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त श्री शर्मा को विधि विभाग में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के मौलिक पद पर स्थायीकरण दिनांक 07.06.2017 से अनुमन्य किये जाने पर समस्त मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 06 – परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग में कार्यरत डॉ0 विनोद कुमार, असिस्टेन्ट प्रोफेसर के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सत्यापन आख्या एंव स्वमूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त डॉ0 विनोद कुमार को भौतिक विज्ञान विभाग में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के मौलिक पद पर दिनांक 25.05.2017 से स्थायीकरण अनुगन्य किये जाने पर समस्त मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 07 – परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग में कार्यरत डॉ0 भूपेश कुमार, असिस्टेन्ट प्रोफेसर के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सत्यापन आख्या एंव स्वमूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त डॉ0 भूपेश कुमार को भौतिक विज्ञान विभाग में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के मौलिक पद पर दिनांक 17.05.2017 से स्थायीकरण अनुमन्य किये जाने पर समस्त मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 08 – परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग में कार्यरत डॉ0 अनार सिंह, असिस्टेन्ट प्रोफेसर के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सत्यापन आख्या एंव स्वमूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त डॉ0 सिंह को भौतिक विज्ञान विभाग में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के मौलिक पद पर दिनांक 01.06.2017 से स्थायीकरण अनुमन्य किये जाने पर समस्त मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 09 – परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग में कार्यरत डॉ0 संदीप कुमार पुण्डीर , असिस्टेन्ट प्रोफेसर के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सत्यापन आख्या एंव स्वमूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त डॉ0 पुण्डीर को भौतिक विज्ञान विभाग में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के मौलिक पद पर दिनांक 12.05.2017 से स्थायीकरण अनुमन्य किये जाने पर समस्त मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

Scanned by CamScanner

विनिश्चय संख्या 10 – परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान विभाग में कार्यरत डॉ0 पूर्णिमा श्रीवास्तव, एसोशिएट प्रोफेसर के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सत्यापन आख्या एंव स्वमूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त डॉ0 श्रीवास्तव को भूगर्भ विज्ञान विभाग में एशोसिएट प्रोफेसर के मौलिक पद पर दिनांक 11.02.2017 से स्थायीकरण अनुमन्य किये जाने पर समस्त मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 11 – परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में कार्यरत डॉ0मोहम्मद इस्राईल अन्सारी, एसोशिएट प्रोफेसर के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सत्यापन आख्या एंव स्वमूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त डॉ0 अन्सारी को वनस्पति विज्ञान विभाग में एशोसिएट प्रोफेसर के मौलिक पद पर दिनांक 12.08.2017 से स्थायीकरण अनुमन्य किये जाने पर समस्त मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 12 – परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के जन्तु विज्ञान विभाग में कार्यरत डॉ0 मधू गुप्ता, असिस्टेन्ट प्रोफेसर के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सत्यापन आख्या एंव स्वमूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त डॉ0 गुप्ता को जन्तु विज्ञान विभाग में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के मौलिक पद पर दिनांक 21.03.2017 से स्थायीकरण अनुमन्य किये जाने पर समस्त मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 13 – परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के जन्तु विज्ञान विभाग में कार्यरत डॉ0 अमित त्रिपाठी, असिस्टेन्ट प्रोफेसर के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सत्यापन आख्या एंव स्वमूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त डॉ0 त्रिपाठी को जन्तु विज्ञान विभाग में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के मौलिक पद पर दिनांक 29.03.2017 से स्थायीकरण अनुमन्य किये जाने पर समस्त मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 14 – परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में कार्यरत डॉ0 पवन कुमार मिश्रा, असिस्टेन्ट प्रोफेसर के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सत्यापन आख्या एंव स्वमूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त डॉ0 मिश्रा को समाजशास्त्र विभाग में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के मौलिक पद पर दिनांक 12.07.2016 से स्थायीकरण अनुमन्य किये जाने पर समस्त मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 15 – परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में कार्यरत डॉ0 अर्चना वर्मा, असिस्टेन्ट प्रोफेसर के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सत्यापन आख्या एंव स्वमूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त डॉ0 वर्मा को समाजशास्त्र विभाग में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के मौलिक पद पर दिनांक 12.07.2017 से स्थायीकरण अनुमन्य किये जाने पर समस्त मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 16 – परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में कार्यरत डॉ0 सरोज कुमार ढल, असिस्टेन्ट प्रोफेसर के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सत्यापन आख्या एंव स्वमूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त डॉ0 ढल को समाजशास्त्र विभाग मे असिस्टेन्ट प्रोफेसर के मौलिक पद पर दिनांक 13.07.2017 से स्थायीकरण अनुमन्य किये जाने पर समस्त मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

Scanned by CamScanner

16(a) "समस्त मा0 सदस्यों द्वारा तत्समय प्रस्तुत डॉ0 पूर्णिमा बाजपेई, का प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान विभाग के पद पर दिनांक 11.08.2017 से स्थायीकरण किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को सम्मिलित करते हुये समस्त मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।"

16(b) डॉ0 श्याम नरायन पाण्डेय, एसोशिएट प्रोफेसर को दिनांक 12.08.2017 से स्थायीकरण किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को सम्मिलित करते हुये समस्त मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।"

विनिश्चय संख्या 17 – दिनांक 15.01.2016 को हुई चयन समिति द्वारा डॉ0 हिमॉशू मोहन एंव डॉ0 संगीता साहू को एसोशिएट प्रोफेसर के पद पर की गई चयन की संस्तुति के विरुद्व डॉ0 रितु नारंग एसोशिएट प्रोफेसर, व्यापार प्रशासन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 68 के अधीन प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर श्री कुलाधिपति राज्यपाल सचिवालय, राजभवन लखनऊ के आदेश सं0 – ई0– 10632/जी0एस0 दिनांक 27.11.2017 पर महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा आदेश पारित किये गये थे –

"The Selection & appointment of the opposite parties on the post of associate professor in the Department of Business Administration under Faculty of Commerce of Lucknow University is illegal & void for want of minimum qualification & being in contravention with the statutes 11.03.04 (A) read with statutes 11.03.01 of the University. Therefore the recommendations of the selection committee dated 15-01-2016 regarding selection of opposite party Dr. Himanshu Mohan & Dr. Sangeeta sahu on the post of Associate Professor & resolution dated 11.2.2016 of the Executive Council approving said recommendations & consequent of appointment of opposite parties on the post of Associate Professor in the Department of Business Administration under Commerce Faculty of Lucknow University deserves to be cancelled and set aside.

In view of the discussions in the preceding paragraphs, I direct the appointing body i.e. the Executive Council of the University to take immediate consequential steps in pursuance of this oreder towards annulling the legally void selection and appointment of Dr. Himanshu Mohan & Dr. Sangeeta Sahu on the post of Associate Professor in the Department of Business Administration under the faculty of commerce of the University and apprise this Secretariat within one month its action from the date of receipt of copy of this order . the representation of Dr. Ritu Narang I disposed of accordingly. "

उक्त कुलाधिपति महोदय के आदेश के विरुद्व डॉ0 हिमॉशू मोहन एंव डॉ0 संगीता साहू द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में याचिका सं0 29510/2017 एंव 29508/2017 योजित की गई थी उक्त दोनो याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.02.2018 को निम्न आदेश पारित किया :–

"Interim order, if any Shall, continue till the next date of listing"

Scanned by CamScanner

परिषद द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया, चूँकि प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित हैं, अतः सदन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश प्राप्त होने के पश्चात ही अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने पर निर्णय लिये जाने की सहमति प्रदान की गई।

विनिश्चय संख्या 18 — परिषद द्वारा प्रो0 पी0सी0 श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त आचार्य, रसायन विज्ञान विभाग को परिनियम 16.22 क के प्राविधानान्तर्गत पुराने अवकाश नियमों के अनुसार भुगतान किये जाने विषयक श्री कुलाधिपति महोदय के आदेश सं0 ई0 10264 जी0एस0 दिनांक 07.11.2016 को समस्त मा0 सदस्यों द्वारा संज्ञान में लेते हुये परिषद द्वारा सर्वसम्मत से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 19 — परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में वर्ष 2015 में कार्यरत डॉ0 अवधेश कुमार असिस्टेन्ट प्रोफेसर वाणिज्य विभाग के कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत स्टेज– 2 से स्टेज– 3 तथा स्टेज –4 (एसोशिएट प्रोफेसर) में प्रोन्नति सम्बन्धी चयन समिति की संस्तुति के लिफाफे खोले जाने के सम्बन्ध में आहूत चयन समिति की बैठक जिसमें डॉ0 अवधेश कुमार के सम्मिलित होने के बावजूद महामहिम राज्यपाल सचिवालय के आदेश दिनांक 09.06.2017 एवं 16.06.2017 के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा सीधी भर्ती एवं कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत की गई प्रोन्नति सम्बन्धी लिफाफे कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 19.06.2017 में न खोले जाने के कारण डॉ0 अवधेश कुमार असिस्टेन्ट प्रोफेसर वाणिज्य विभाग द्वारा धारा 68 के अन्तर्गत श्री कुलाधिपति राज्यपाल सचिवालय, राजभवन लखनऊ के आदेश सं0 – ई0– 407/जी0एस0 दिनांक 12.01.2018 पर महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा डॉ0 अवधेश कमुार के कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत सहायक आचार्य – स्टेज– 2 से स्टेज– 3 तथा सहायक आचार्य – स्टेज – 3 से स्टेज –4 (एसोशिएट प्रोफेसर) में प्रोन्नति सम्बन्धी चयन समिति की संस्तुति सम्बन्धी लिफाफे सम्बन्धी प्रकरण में पारित आदेश/निर्देश के सुसंगत अंश निम्नवत हैं :–

" In view of decision as above the impugned order dated 19-06-2017 of the Executive Council not to consider the recommendations of the Selection committee regarding promotion of the representationist under kept in sealed cover is not suitable and is here by set aside to the extend of the opening of the sealed cover and decide the recommendations of the Selection committee for the promotion of the representationist under the CAS. The said representation of Dr. Audhesh Kumar and the comments of the Registrar there on are disposed of Accordingaly with the decision directions to the Executive Council to open the recommendations of the Selection committee kept in sealed cover in respect of promotion of the representationist under the CAS and take appropriate decision thereon within a period of one month from the date of receipt of copy of the order."

Scanned by CamScanner

उक्त आदेश से परिषद अवगत हुई और डॉ0 अवधेश कुमार असिस्टेन्ट प्रोफेसर वाणिज्य विभाग के प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार–विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मत से सदन द्वारा निम्नवत स्वीकृति प्रदान की गई :–

(अ) डॉ0 अवधेश कुमार असिस्टेन्ट प्रोफेसर वाणिज्य विभाग के सम्बन्ध में दिनांक 05.06.2017 सम्पन्न चयन समिति द्वारा निम्न संस्तुति प्रदान की गई :–

" On the basis of academic record, research publications, teaching experience, API score and overall performance of Dr. Audhesh Kumar Assistant Professor in commerce be allowed next higher Grade of Assistant professor(Stage –3) under career advancement scheme."

(ब) डॉ0 अवधेश कुमार असिस्टेन्ट प्रोफेसर वाणिज्य विभाग के सम्बन्ध में दिनांक 05.06.2017 सम्पन्न चयन समिति द्वारा निम्न संस्तुति प्रदान की गई :–

"On the basis of academic record, research publications, teaching experience, as also experience of research supervisions, API score and overall performance API score, and overall performance at the interview, on being informed by the Registrar, Lucknow University ,committee resolved that in due compliance of the order no. E-2194/G.S.Dated 19-04-2001 passed by the Hon'ble Chancellor, Lucknow University and the resolution dated 03-06-2002 passed by the Executive Council, that taking into consideration the letter no. 13174 dated 26-06-2001 and the number 13542 dated 28-06-2001 written to the Government by the University for a decision on the issue is still pending with the Government. Therefore it is recommended that the candidate be promoted to Associate Professor(Stage-4).His promotion (Stage-4) shall remain subject to any order passed by the Government on the reffered subject."

<u>विनिश्चय संख्या 20</u> – कुलसचिव के आदेश सं0 टी0 54039–42 दिनांक 18.12.2017 जो श्री अम्बरीश कुमार सिंह असिस्टेन्ट प्रोफेसर (संविदा) व्यापार प्रशासन विभाग ल0वि0वि0 लखनऊ द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र दिनांक 16.12.2017 पर मा0 कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 18.12.2017 के क्रम में दिनांक 19.12.2017 के अपरान्ह से स्वीकार किये गये त्यागपत्र को संज्ञान में लेते हुये समस्त मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>विनिश्चय संख्या 21</u> – परिषद द्वारा श्री मुंशीराम, प्रधान परिचर (जमादार) वाणिज्य संकाय ल0वि0वि0 के प्रकरण पर समस्त मा0 सदस्यों द्वारा व्यापक विचार विमर्श किया गया, प्रकरण पर सभी बिन्दुओं पर पर्याप्त चर्चा कें उपरान्त निम्नलिखित निर्णय सर्वसम्मत से पारित किया गया :–

"श्री मुंशीराम, प्रधान परिचर (जमादार) वाणिज्य संकाय ल0वि0वि0 के दिनांक 01.08.2010 से अद्यतन 07 वर्षो से अधिक समय तक कार्यालय से बिना किसी सूचना के अनवरत दीर्घकाल तक अनुपस्थित रहने एवं विश्वविद्यालय द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी अपना पक्ष न रखने एंव कार्यभार न ग्रहण करने की स्थिति में उनकी सेवाएं लखनऊ विश्वविद्यालय से दिनांक 01.08.2010 से समाप्त किये जाने पर सर्वसम्मत से अनुमोदन प्रदान किया गया।"

Scanned by CamScanner

विनिश्चय संख्या 22 – परिषद द्वारा श्री पवन कुमार मिश्रा, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सेन्टर के समस्त शैक्षिक प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के उपरान्त तथा 01 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् दिनांक 12.05.2017 से कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पद पर स्थायीकरण अनुमन्य किये जाने पर समस्त मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 23 – कुलसचिव के पत्र सं0 जी0ए0 4644–45 दिनांक 13.02.2018 जो अभिनव गुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ एस्थेटिक्स एण्ड शैव फिलास्फी, लखनऊ विश्वविद्यालय को उच्चीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को समस्त मा0 सदस्यों द्वारा संज्ञान में लेते हुये अनुमोदन प्रदान किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से तथा तत्समय प्रस्तुत किये जाने वाले
अन्य मद 1/2018

विनिश्चय संख्या 01 – लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा घोषित,सार्वजनिक/निर्बन्धित अवकाश सूची वर्ष 2018 पर सदन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 02 – (अ) परिषद द्वारा **Small Industries & Manufacturers Association** का लखनऊ विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के साथ **Memorandum of Understanding (MOU)** पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ब) परिषद द्वारा शिवगंगा मेमोरियल डिग्री कालेज हरदा कालोनी,पोस्ट – इटौंजा, जनपद – लखनऊ में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी0कॉम पाठ्यक्रम की सहयुक्तता समाप्त करने के सम्बन्ध में निम्नवत निर्णय लिये :–

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत महाविद्यालय में पाठ्यक्रम की सहयुक्तता समाप्त किये जाने के लिये महाविद्यालय के प्रबन्धक/प्राचार्य द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रति पाठ्यक्रम रु0 एक लाख (रु0 1,00000/–) की धनराशि जमा करनी होगी । यह भी निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय में पूर्व प्रवेशित विद्यार्थियों की नियमित परीक्षा/बैकपेपर/इम्प्रूवमेन्ट आदि की जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय की ही होगी, उल्लिखित दोनां शर्ते पूर्ण होने पर ही सम्बद्वता समाप्त की जा सकेगी। भविष्य में भी महाविद्यालयों की सम्बद्वता समाप्त करने के सभी प्रकरणों में भी यह व्यवस्था लागू होगी।

(स) परिषद द्वारा निम्नलिखित विभागों में कार्यरत गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की प्रोन्नति हेतु चयन/परीक्षण समिति की संस्तुतियों पर विचार किया गया एंव निम्नवत निर्णय लिया गया :–

(i) <u>असिस्टेन्ट लाइब्रेरियन ,अंग्रेजी एवं मार्डन यूरोपियन भाषा विभाग (कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत –ओल्ड रुल)</u>

परिषद द्वारा उपर्युक्त प्रोन्नति हेतु सम्पन्न स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक अक्टूबर 27, 2017, की संस्तुतियों को यथावत् स्वीकार किया गया तथा श्रीमती शशिबाला असिस्टेन्ट लाइब्रेरियन, अंग्रेजी एवं मार्डन यूरोपियन भाषा विभाग को असिस्टेन्ट लाइब्रेरियन सीनियर स्केल में प्रोन्नति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

Scanned by CamScanner

(ii) <u>असिस्टेन्ट लाइब्रेरियन ,अंग्रेजी एवं मार्डन यूरोपियन भाषा विभाग (कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत)</u>

परिषद द्वारा उपर्युक्त प्रोन्नति हेतु सम्पन्न स्क्रीनिंग–कम–एवालुवेशन कमेटी की बैठक दिनांक अक्टूबर 27, 2017, की संस्तुतियों को यथावत् स्वीकार किया गया तथा श्रीमती शशिबाला असिस्टेन्ट लाइब्रेरियन, अंग्रेजी एवं मार्डन यूरोपियन भाषा विभाग को असिस्टेन्ट लाइब्रेरियन Next Higher Grade (स्टेज–3) प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(iii) <u>डिप्टी लाइब्रेरियन ,लोक प्रशासन विभाग (कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत)</u>

परिषद द्वारा उपर्युक्त प्रोन्नति हेतु सम्पन्न स्क्रीनिंग/सेलेक्शन कमेटी की बैठक दिनांक अक्टूबर 27, 2017, की संस्तुतियों को यथावत् स्वीकार किया गया जिसमें श्री यादवेन्द्र प्रताप सिंह को उपर्युक्त प्रोन्नति हेतु योग्य नहीं पाया गया।

(iv) <u>डिप्टी लाइब्रेरियन ,को–आपरेटिव लेंडिग लाइब्रेरी (कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत)</u>

परिषद द्वारा उपर्युक्त प्रोन्नति हेतु सम्पन्न स्क्रीनिंग/सेलेक्शन कमेटी की बैठक दिनांक अक्टूबर 27, 2017, की संस्तुतियों को यथावत् स्वीकार किया गया जिसमें डॉ0 एम0 डी0 बाजपेई को उपर्युक्त प्रोन्नति हेतु योग्य नहीं पाया गया।

(iv) <u>लाइब्रेरियन ,टैगोर लाइब्रेरी (कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत)</u>

परिषद द्वारा उपर्युक्त प्रोन्नति हेतु सम्पन्न सेलेक्शन कमेटी की बैठक दिनांक अक्टूबर 27, 2017, की संस्तुतियों को यथावत् स्वीकार किया गया जिसमें डॉ0 ज्योति मिश्रा को उपर्युक्त प्रोन्नति हेतु योग्य नहीं पाया गया।

बैठक के अन्त में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा मा0 सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए बैठक की समाप्ति की घोषणा की गयी।

प्रो0 आर0के0सिंह	प्रो0 एस0पी0सिंह
कुलसचिव/सचिव	कुलपति/अध्यक्ष

Scanned by CamScanner

संलग्नक-1

पद एवं गोपनीयता की शपथ

मैं, प्रोफेसर/डॉ0...ईश्वर की शपथ लेता/लेती हूँ। मैं सत्य निष्ठा से प्रतीज्ञा करता/करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिनियम/परिनियमावली के प्रति सच्ची श्रद्वा और निष्ठा रखूँगा/रखूँगी। मैं विश्वविद्यालय की स्वायत्ता अक्षुण्ण रखूँगा/रखूँगी। मैं कार्य परिषद के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्व अंतःकरण से निर्वहन करूँगा/करूँगी। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के कार्य अधिनियम/परिनियम के अनुसार करूँगा/करूँगी।

मैं, प्रोफेसर/डॉ0.. ईश्वर की शपथ लेता/लेती हूँ। मैं सत्य निष्ठा से प्रतीज्ञा करता/करती हूँ कि जो विषय कार्य परिषद के सदस्य के रूप में विचार में लिया जायेगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे कार्य परिषद सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा/करूँगी।

दिनांक :

हस्ताक्षर......................................

नाम..

सदस्य कार्य परिषद

Scanned by CamScanner

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

1

Recruitment OF Faculty and Teaching Staff 2017-18 Ist Year

S.No.	Subject	No. of Faculty Required	No. of Lab Assistant Required
1.	Engineering Mathematics	02	--
2.	Engineering Physics	02	01
3.	Electronics Engineering	01	--
4.	Engineering Chemistry	02	01
5.	Electrical Engineering	02	01
6.	Mechanical Engineering	02	01
7.	Professional Communication	02	01
8.	Computer Science & Engineering	02	01
9.	Engineering Graphics	01	01
10.	Workshop Practice	01 (WS)	01+01 Mechanic
	Total	17	09

2

Recruitment OF Faculty and Teaching Staff 2017-18 IInd Year

S.No.	Subject	No. of Faculty Required	No. of Lab Instructor Required
1.	Engineering Mathematics	02	--
2.	Civil Engineering	02	02
3.	Electronics & Communication Engineering	02	02
4.	Electrical Engineering	02	02
5.	Mechanical Engineering	02	02
6.	Computer Science & Engineering	02	01
	Total	12	10

1. Consolidated Rumenration for Assistant Professor (contractual) 2017- 18, 2018-19 Total 17+12=29 @ 45,000/- per month
2. Consolidated Rumenration for Laboratory Instructor (contractual) 2017-18, 2018-19 Total 09+10=19 @ 15,000/- per month

3

Recruitment OF Non-Teaching Staff 2017-18 onwards

S.No.	Post		Nos. Required	Remuneration (Consolidated)
1.	OSD/Dy. Registrar		01	Rs. 30,000/- per month
2.	Admin. Officer/Office Supdtt.		01	Rs. 25,000/- per month
3.	Class III (Clerk)		01	Rs. 15,000/- per month
4.	Account's Clerk/Cashier		01	Rs. 15,000/- per month
5.	Cataloguer/Library Assistant		01	Rs. 15,000/- per month
6.	Store Keeper		01	Rs. 15,000/- per month
7.	Class IV	Lab Attendent	04	Rs. 8,000/- per month
		Peon	02	Rs. 8,000/- per month
		Sweeper	02	Rs. 8,000/- per month
Total			14	

Scanned by CamScanner

कुलसचिव कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ—226007

संदर्भ संख्या : GA-7666-7746 /2018
दिनांक : 28/03/18

ACADEMIC CALENDER 2018-2019(July2018-June 2019)

05th July, 2018: University Reopens, Beginning of Academic Session

09 July, 2018 Commencement of Teaching

31st July, 2018: Closure of Admisssion for PG 1st Semester

09th October, 2018: **University Convocation**

26 November, 2018: Begining of Odd Semester Examination

01 to 06th January, 2019: **Winter Recess**

07th January, 2019: Start of Teaching in all Faculties

15th January, 2019: Beginning UG practical examinations (Completion before 28 February, 2019)

31st January, 2019: Declaration of results of odd semester examinations

01 March, 2019: Beginning of undergraduate annual examination in all Faculties

19th March, 2019: Begnining of admission process for the academic session 2019-2020

22nd April, 2019: Beginning of the even semester examination in all Faculties

21st May, 2019 to 04th July, 2019: **Summer vacation**

15th June, 2019: Declaration of all results of academic session 2018-2019

(Prof. R.K.Singh)
Registrar

No............................ Date.........................

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Secretary to V.C. for kind information of Hon'ble Vice-Chancellor, University of Lucknow.
2. PS to P.V.C. for kind information of Pro Vice-Chancellor, University of Lucknow.
3. All Deans and Heads of the Faculties of Arts, Science, Law, Education and Fine Arts, L.U
4. All Directors and Coordinators, L.U
5. Controller of Examination, L.U.
6. Dean, College Development Council, L.U.
7. Protor, L.U.
8. Finance officer, L.U.
9. Director IMS, L.U.
10. Superintendent of Works, L.U.
11. Coordinator UG/PG Admission 2018-19.
12. Incharge Engineering Faculty, L.U.
13. Director, IPPR, University of Lucknow.
14. P.A. to Registrar, University of Lucknow.
15. Incharge Website with request to upload on Lucknow University Wesite.

Registrar

Scanned by CamScanner